

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधाशु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 11 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों हेतु (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 02 विस्तृत आगणनों, जिनकी लम्बाई कमशः 0.550, 0.480, 0.850, 0.700, 1.00, 1.30, 2.70 एवं 1.25 कि०मी० एवं लागत कमशः ₹ 43.15 लाख, ₹ 42.89 लाख, ₹ 67.16 लाख, ₹ 59.49 लाख, ₹ 70.76 लाख, ₹ 102.71 लाख, ₹ 172.23 लाख एवं 36.60 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि कमशः ₹ 42.22 लाख, ₹ 33.58 लाख, ₹ 54.97 लाख, ₹ 54.71 लाख, ₹ 64.00 लाख, ₹ 74.43 लाख, ₹ 56.81 लाख एवं 36.60 लाख कुल ₹ 417.32 लाख (₹ चार करोड सत्रह लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 08 कार्यों हेतु ₹ 0.80 लाख (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

641

श्री जेहाणी  
24/3/21

923  
E.E.P./  
P.A.

S.S.O.(P)/I  
22/3/21

S.A.O. (P) I  
22/3/21  
550/5

24-3



(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रेक्टिसरमेंट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1032/XXVII(2)/2021 दिनांक 18 मार्च 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि

*Jumil* भवदीय,

(रमेश कुमार सुंघाशु)  
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/III(2)/21-35(एम.एल.ए.)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।



शासनादेश संख्या: 606/III(2)/21-35(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 19 मार्च, 2021 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी० में	शासन द्वारा अनु. लागत (लाख ₹ में)	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम घिस्सुपुरा में मेन रोड से हरिजन बस्ती मुख्य मार्ग से आगे धनपुरा की ओर मार्ग का इन्टरलॉकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.550	42.22	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम पथरी मे मेन रोड से नरेन्द्र सिंह व महावीर सिंह के डेरे तक मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.480	33.58	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम सुखरासा डांडी मार्ग से श्री रामाचन्द्र आई.आई.टी. से आगे इब्राहिमपुर तक नाले की पटरी पर मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.850	54.97	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण में लक्सर-पुरकाजी-ज्वालापुर राष्ट्रीय राजमार्ग सतसंग भवन से कुन्हारी तक मार्ग का इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.700	54.71	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम आदर्श टिहरी नगर भाग-1 कालोनी नं०-1 में गम्भीर सिंह के घर से पथरी स्टेशन वाले मुख्य मार्ग पर स्थित मोहर सिंह के घर तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.00	64.00	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण में ग्राम जमालपुर कलां के संगम विहार, बसंत विहार तथा उमा विहार में इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.30	74.43	0.10
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत नेशनल हाईवे से ग्राम इक्कड़ कलां तक मार्ग का निर्माण काय (विस्तृत आगणन)	2.70	56.81	0.10
8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत आदर्श टिहरी नगर भाग-2 विस्थापित क्षेत्र में मेन रोड से भीमलाल के घर से आगे तक पी०सी०व द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.25	36.60	0.10
	योग:-	8.33	417.32	0.80

  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।





बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -606/III(2)/21-35(MLA)/2017  
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21030220017  
आवंटन पत्र दिनांक-19-MAR-2021

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिचय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		3450000	80000	0	3530000							
योग		3450000	80000	0	3530000							

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.80,000 (Rupees Eighty Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक-269 /20 याता'क'/2020

दिनांक-25 .03.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार
- अधिसासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
- अधिसासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

24/3/21  
वरिष्ठ अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून